इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 **द्वारा प्रमाणित)**

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : **11** **अंक** : **7** **फरवरी**, **2019** **पृष्ठों की संख्या** 17

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।
मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ----------5
विनियामकों के कथन ----------6
नयी नियुक्तियाँ----------7
उत्पाद एवं गठजोड ----------7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

''इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।''

मुख्य घटनाएँ

एमएसएमई ऋणों के एकबारगी पुनरसंरचना की अनुमति

भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 करोड़ रुपए के अधिकतम एक्सपोजर वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक एकबारगी पुनरसंरचना योजना की शुरुआत की है। यह पुनरसंरचना 31 मार्च, 2019 तक कार्यान्वित की जानी है और बैंकों को इन पुनर्संरचित खातों के लिए 5% का एक अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। इसका पात्र होने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खाते को 1 जनवरी को मानक आस्ति बने रहना होगा। चूकग्रस्त खातों को केवल तभी पुनर्संरचित किया जा सकेगा जब उनके आस्ति वर्गीकरण की श्रेणी में गिरावट न आई हो।

पुनर्संरचित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खाते की श्रेणी को घटा कर अनर्जक आस्ति कर दिया जाएगा और वह नीचे खिसक कर क्रमिक रूप से कमतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चला जाएगा तथा उसके लिए प्रावधानीकरण आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होगी। एक वर्ष के बाद ऐसे खाते के मानक रूप में कोटि-उन्नयन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उसका ऋण शोधन 30 दिनों से अधिक अवधि तक देय न रहे। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनरसंरचना के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अपनानी चाहिए तथा पुनर्संरचित खातों को प्रकट करना चाहिए।

धोखाधड़ी के मामलों मे ई-वैलेट प्रयोक्ताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से राहत

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों अर्थात मोबाइल वैलेटों, पूर्व-प्रदत्त भुगतान कार्डों और सोडेक्सो जैसे कागजी (Paper) वाउचरों का उपयोग करने वाले ग्राहकों को धोखाधड़ियों से उद्भूत होने वाली देयताओं से उक्त घटना की रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर किए जाने की की स्थिति में मुक्त कर दिया है। उसके किसी अन्य पक्ष का ऐसा करार-भंग होने पर जिसमें उल्लंघन न तो पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता द्वारा किया गया है न ही ग्राहक द्वारा, अपितु प्रणाली में ही कहीं अन्यत्र हुआ है, उनके तीन दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट किए जाने पर ग्राहक की कोई देयता नहीं होगी। उक्त धोखाधड़ी के चार से सात दिनों के भीतर रिपोर्ट किए जाने की स्थिति मैं यह देयता लेनदेन के मूल्य अथवा 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो की होगी।

भुगतानों के डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का पैनल

भुगतानों के डिजिटाइजेशन को प्रोत्साहित करने और डिजिटाइजेशन के जरिये वित्तीय समावेशन बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतानों में गहनता लाने के संबंध मैं एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रहा है। उक्त समिति की अध्यक्षता भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नन्दन नीलेकनी द्वारा की जाएगी तथा उसमें भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर श्री एच. आर. खान, श्री किशोर सांसी (विजया बैंक के पूर्व प्रधान/अध्यक्ष, सुश्री अरुणा शर्मा (भूतपूर्व सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इस्पात) तथा श्री संजय जैन (मुख्य नवोन्मेष अधिकारी, नवोन्मेष, ऊष्मायन एवं उद्यमिता केंद्र (CIIE) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद) का समावेश होगा।

उक्त समिति भारत मैं भुगतानों के डिजिटाइजेशन की स्थिति की समीक्षा करेगी, पारिस्थितिकी तंत्र में अंतरों की पहचान करेगी, उन अंतरों को पाटने के तौर-तरीके सुझाएगी तथा वित्तीय समावेशन में डिजिटल भुगतानों के वर्तमान स्तरों का मूल्यांकन करेगी। वह डिजिटल भुगतानों के माध्यम से अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कौन सी उत्तम प्रथाएँ अपनाई जा सकती हैं उनकी पहचान करने हेतु देश भर में विद्यमान स्थिति का विश्लेषण करेगी। वह डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा एवं निरापदता सुदृढ़ करने के उपाय सूझाएगी तथा उससे डिजिटल विधियों के जरिये वित्तीय सेवाओं का मूल्यांकन करते समय ग्राहक विश्वास बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराने की भी आशा की जाती है।

4

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में परिवर्तन किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) में कुछ परिवर्तन किया है। तदनुसार, व्यक्ति और संयुक्त जमाकर्ताओं के अतिरिक्त उक्त योजना का लाभ अब धर्मादा संस्थाओं, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों अथवा केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा स्वाधिकृत किसी भी संस्था/कंपनी द्वारा उठाया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार मानदंड आसान किए

भारत मे व्यवसाय करने की सहूलियत को और बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) ढांचा तैयार किया है जिसमें सेक्टर-वार सीमाओं को समाप्त करते हुए सभी पात्र उधारकर्ताओं को स्वत: (automatic) मार्ग के अधीन प्रत्येक वित्त वर्ष में 750 मिलियन अमरीकी डालर जुटाने की अनुमति दी गई है। कच्चे तेल की खरीद के लिए डालर की मांग से विदेशी मुद्रा बाजार में पैदा होने वाली अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए इस ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणनकर्ता कंपनियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वे कार्यशील पूंजी के उद्देश्यों के लिए स्वत: मार्ग के अधीन अनिवार्य बचाव व्यवस्था (hedging) के बिना तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता (MAMP) और वैयक्तिक सीमा की अपेक्षाओं के साथ 10 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र उच्चतम सीमा सहित बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पोत न्यास
(port Trusts), विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बैंक तथा पंजीकृत सूक्ष्म वित्त संस्थाएं भी इस ढांचे के अधीन उधार ले सकती हैं।

विनिर्माण कंपनियाँ प्रति वित्त वर्ष एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ 50 मिलियन अमरीकी डालर तक जुटा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, बाह्य वाणिज्यिक उधार के किसी विदेशी इक्विटी धारक से जुटाये जाने तथा उसका उपयोग कार्यशील पूंजी, सामान्य

कारपोरेट उद्देश्यों अथवा रुपया ऋणों की चुकौती हेतु किए जाने पर परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड नेटवर्कों को टोकनीकरण सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्कों को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता अथवा अन्य पक्ष ऐप सुविधा प्रदानकर्ताओं को कार्ड टोकनीकरण सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में, यह सुविधा मोबाइल फ़ोनों/टैबलेटों के जरिये प्रदान की जाएगी।

इन लेनदेनों के लिए अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक (AFA) और पिन प्रविष्टि सहित कार्ड लेनदेनों की सुरक्षा और निरापदता के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक के सभी मौजूदा अनुदेश लागू होंगे। इन सेवाओं की अंतिम ज़िम्मेदारी संबन्धित नेटवर्कों को वहन करनी होगी। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें ग्राहकों से किसी भी प्रकार के प्रभार वसूल करने की अनुमति नहीं होगी।

कार्ड टोकनीकरण सेवाएँ प्रदान करने से पहले नेटवर्कों को ये सेवाएँ प्रदान करने के कार्य में संलग्न सभी कंपनियों की आवधिक प्रणाली लेखा-परीक्षा के लिए एक तंत्र की स्थापना करनी होगी। उक्त प्रणाली लेखा-परीक्षा भारतीय कंप्यूटर आकस्मिक अनुक्रिया दल (CERT-in) द्वारा की जाएगी, जो अपनी टिप्पणियों के साथ लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक को भेजेगा।

इन सेवाओं के लिए पंजीकृत कार्डों की संख्या के विवरण और लेनदेन से संबन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को मासिक अंतरालों पर भेजे जाने चाहिए। कार्ड नेटवर्कों को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि टोकन और कार्ड धारक के

विवरण से कार्ड नेटवर्क को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति को कार्डधारक की स्थायी खाता संख्या (PAN) का पता न चल सके। इसके अलावा टोकन अनुरोधकर्ता के ऐप पर किसी कार्ड का पंजीकरण केवल अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक के जरिये ग्राहक की सुस्पष्ट सहमति से ही किया जाना चाहिए न कि जबरन, चूक, जांच पेटियों के स्वत: चयन, रेडियो बटनों अथवा उसी प्रकार के उपकरणों के जरिये। कार्ड नेटवर्कों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेनदेन का अनुरोध किसी अभिज्ञात उपकरण से किया गया है एक विवाद निवारण प्रक्रिया का गठन करना भी आवश्यक होगा।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर लचीले नीतिगत उद्देश्यों के पक्ष में

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा बैंकिंग क्षेत्र और भुगतान प्रणालियों का पर्यवेक्षण करते समय अधिदिष्ट मूल्य-स्थिरता वाले उद्देश्य को बनाए रखने हेतु मौद्रिक प्राधिकारी बने रहने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने तथा वहनीय एवं सुदृढ़ वृद्धि के लिए समर्थकारी स्थितियाँ बनाने हेतु आवश्यक उपाय करेगा। वाइब्रैन्ट गुजरात ग्लोबल समिट में बोलते हुए श्री दास ने इस बात पर बल दिया कि मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा अधिदिष्ट एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए कि "बैंकों द्वारा अपने लाभप्रदता अनुपातों और पूंजी स्थितियों में सुधार लाये जाने के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली क्रमिक रूप से आघात-सह बनती जा रही है" यह भी कहा कि "भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि के प्रक्षेप-पथ को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। आगे बदते समय, विशेष रूप से अत्यधिक अस्थिर वैश्विक वातावरण में घरेलू स्थूल-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी होगी। वैश्विक वृद्धि, व्यापार और निवेश के प्रति अधोगामी जोखिम बढ़ गए हैं; वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि का उभरते बाज़ारों पर अत्यधिक प्रभाव-विस्तार हो सकता है। अतएव, हमारे लिए अपने आपको वैश्विक वित्तीय विक्षोभ के किसी अकस्मात आघात के लिए तैयार रखना आवश्यक है। ऐसे वातावरण में हमारे घरेलू स्थूल-आर्थिक नीति के ढांचे को सुदृढ़ वित्तीय पर्यवेक्षण और विनियमन का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है।"

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री अमिताभ चौधरी	ऐक्सिस बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री हेमंत कुमार टम्ट	बैंक आफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री के. रामचंद्रन	इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री वी. वैद्यनाथन	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री अज्ञेय कुमार आजाद	पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	संगठन	गठजोड़ का उद्देश्य
येस बैंक	किया मोटर्स	किया कार के व्यापारियों और अंतिम उपभोक्ताओं को वित्तीयन एवं बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराना

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 जनवरी, 2019 के दिन बिलियन रुपए	25 जनवरी, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	28,283.8	3,98,178.4
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,461.7	3,72,149.2
1.2 सोना	1,530.0	21,921.3
1.3 विशेष आहरण अधिकार	104.1	1,464.5

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

फरवरी, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.70100	2.61900	2.57900	2.55500	2.56400
जीबीपी	0.97260	1.1140	1.1771	1.2252	1.2678
यूरो	-0.19000	-0.140	-0.061	0.039	0.167
जापानी येन	0.00630	-0.001	-0.004	-0.005	-0.006
कनाडाई डालर	2.45000	2.213	2.221	2.230	2.241
आस्ट्रेलियाई डालर	1.97800	1.910	1.910	2.110	2.170
स्विस फ्रैंक	-0.61500	-0.575	-0.486	-0.388	-0.284
डैनिश क्रोन	-0.09920	-0.0219	0.774	0.1909	0.3042
न्यूजीलैंड डालर	1.95750	1.965	2.000	2.060	2.148
स्वीडिश क्रोन	-0.04300	0.080	0.210	0.327	0.455
सिंगापुर डालर	1.96500	1.958	1.965	1.983	2.015
हांगकांग डालर	1.98500	2.100	2.150	2.195	2.220
म्यामार	3.67000	3.680	3.690	3.740	3.790

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS)

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना बैंकों के ग्राहकों को उनके अप्रयुक्त/बेकार पड़े सोने को 2.25 से लेकर 2.50% की विस्तार-सीमा वाले ब्याज के बदले एक निश्चित अवधि के लिए जमा करने मेन समर्थ बनती है। सरकार ने यह योजना 2015 में देश के परिवारों और संस्थाओं द्वारा रखे गए सोने को एकत्रित करने हेतु आरंभ की थी।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

रूपान्तरण एक्सपोजर

रूपान्तरण एक्सपोजर विदेशी मुद्रा आस्तियों अथवा देयताओं को किसी निश्चित अवधि के

लिए लेखों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गृह मुद्रा में रूपांतरित करने की आवश्यकता से उद्भूत होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी, 2019 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
1.अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद का मुक़ाबला पर कार्यक्रम	14 से 16 फरवरी, 2019	मुम्बई
2. प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	14 से 16 फरवरी, 2019	कोलकाता
	14 से 16 फरवरी, 2019	नई दिल्ली
	20 से 226 फरवरी, 2019	चेन्नई
3. वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	20 से 22 फरवरी, 2019	मुम्बई
4. महा प्रबन्धको/उप महा प्रबन्धकों/ सहायक महा प्रबन्धकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	25-26 फरवरी, 2019	मुम्बई
5. प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिक	14 से 16 जनवरी, 2019	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

कारबार संपर्की/कारबार सुसाधक (BC/BF) का अनिवार्य प्रमाणन

दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कारबार संपर्कियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा समयोचितता के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य स्तरों में एकरूपता और कारबार संपर्कियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी अडचन के बिना भावी सचलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। कारबार संपर्कियों को विषय को बेहतर रीति से

समझना सुगम बनाने के लिए संस्थान द्वारा एक अतिरिक्त शैक्षणिक साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। विषय-वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा दिये गए वीडियो व्याख्यान रिकार्ड किए जा रहे हैं तथा वे 15 जनवरी, 2019 के बाद संस्थान के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराये जाएंगे। ये व्याख्यान दो भाषाओं - अंग्रेज़ी और हिन्दी में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, दूसरे प्रयास के लिए परीक्षा शुल्क भी संशोधित करके 800 रुपए के स्थान पर 400 रुपए कर दिया गया है। हालांकि, यह सुविधा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है जो पहले प्रयास से 120 दिनों के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हों। बैंकों द्वारा थोक पंजीकरण के लिए एक उपायुक्त छूट ढांचा भी तैयार कर लिया गया है।

महा प्रबन्धक मानव संसाधन सम्मेलन 13 फरवरी, 2019 को मुंबई में

संस्थान ने उसके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता/प्रभावशीलता के बारे में प्रति-सूचना एकत्र करने तथा उभरती चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से उद्योग की आवश्यकता को जानने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मानव संसाधन और प्रशिक्षण प्रमुखों का अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। उक्त सम्मेलन 13 फरवरी, 2019 को लीडरशिप सेन्टर, मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आफ सिक्योरिटीज एंड इनवेस्टमेंट (CISI) लंदन के निदेशक श्री केविन मूर द्वारा इंटरऐक्टिव इंटीग्रिटी पर एक सत्र का संचालन किया गया। उक्त सम्मेलन में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वरिष्ठ बैंकरों द्वारा अच्छी-ख़ासी सहभागिता की गई।

हीरक जयंती और वर्ष 2018-19 के लिए सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)

संस्थान हीरक जयंती और वर्ष 2018-19 के लिए सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उक्त फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को भारत अथवा विदेशों में बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2019 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in.देखें।

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

- खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।
- जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी
- जोखिम, सूचना सुरक्षा,
- चलनिधि जोख़िम
- लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।
- ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन

इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। लेखांकन और लेखा-परीक्षा पर पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है तथा इसके लिए पहली परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की जाने वाली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं मेँ जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जांच मेँ किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों मेँ परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)**, ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों मेँ परीक्षाएँ आयोजित करता था। अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट** www.iibf.org.in.**पर उपलब्ध है।**

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तुएं निम्नानुसार हैं :

- **पारस्परिक निधियाँ जनवरी - मार्च, 2019**
- **बैंकों मेँ नीतिशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल - जून, 2019**

- **बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन: जुलाई - सितंबर, 2019**

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6922**2**8/1998 **के अधीन पंजीकृत**

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

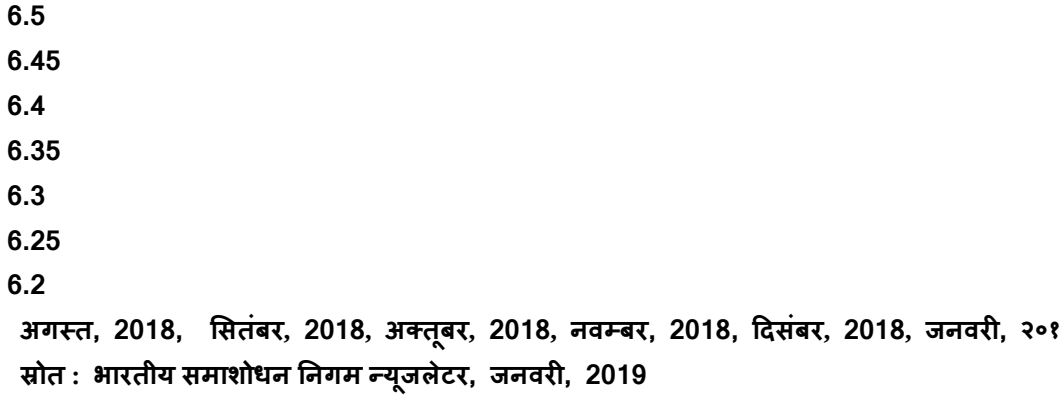

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, जनवरी, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

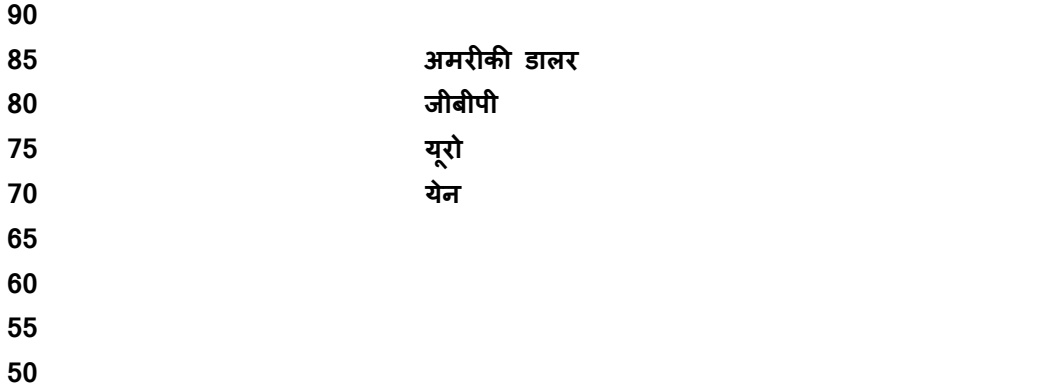

स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

16

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवंबर, 2018, दिसंबर, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000.00
28000.00
26000.00

अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसम्बर, 2018, जनवरी, 2019
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

17

समग्र जमा वृद्धि %

17
15
13
11
9
7
5
3
1

जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसंबर, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2019

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन फरवरी, 2019